


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 583]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2015/भाद्र 30, 1937

No. 583]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2015/BHADRA 30, 1937

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2015

सा.का.नि. 726(अ).—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने एतद्वारा उत्प्रवास नियम, 1983 में अतिरिक्त संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाए हैं, जो कि निम्न अनुसार हैं :—

1. (1) इन नियमों को उत्प्रवास (संशोधन) नियम, 2015 के नाम से जाना जाएगा।
(2) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से ही इन्हें लागू किया जाएगा।
2. उत्प्रवास नियम, 1983 में नियम 8 हेतु अनुगामी नियम को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :—
8. जमा राशि— अधिनियम के खण्ड 11 के उप-खण्ड (2) के अंतर्गत पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा सूचित करने पर, आवेदक, इस खण्ड के उप-खण्ड (3) के तहत जमा राशि के रूप में 50 लाख रु की राशि का बैंक गारन्टी के रूप में आठ साल और छः महीने की अवधि वाली वैधता के साथ प्रदान करेगा। "

[फा. सं. ओ.आई-11012/15/2015-ईपी-I]

ए. के. अग्रवाल, सचिव

नोट : मुख्य नियमों को अधिसूचना संख्या का.आ. 941(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 1983 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं के तहत संशोधित किया गया :

1. का.आ. 665 (अ), दिनांक 10 सितंबर, 1986;
2. सा.का.नि. 111(अ), दिनांक 24 फरवरी, 1987;
3. सा.का.नि. 375(अ), दिनांक 23 मार्च, 1989;
4. का.आ. 111(अ), दिनांक 8 फरवरी, 1996;
5. का.आ. 159(अ), दिनांक 28 फरवरी, 1996;
6. का.आ. 526(अ), दिनांक 22 जुलाई, 1996;
7. सा.का.नि. 713(अ), दिनांक 18 अक्टूबर 2002;
8. का.आ. 1205(अ), दिनांक 14 अक्टूबर, 2003;

9. सा.का.नि. 143(अ), दिनांक 26 फरवरी, 2004;
10. सा.का.नि. 773(अ), दिनांक 25 नवम्बर, 2004;
11. सा.का.नि. 50(अ), दिनांक 6 फरवरी, 2006;
12. का.आ. 289(अ), दिनांक 7 मार्च, 2006;
13. का.आ. 856(अ), दिनांक 6 जून, 2006;
14. का.आ. 2161(अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2006;
15. का.आ. 366(अ), दिनांक 14 मार्च, 2007;
16. का.आ. 776 (अ), दिनांक 18 मई, 2007;
17. सा.का.नि. 658(अ), दिनांक 15 अक्टूबर, 2007;
18. सा.का.नि. 111(अ), दिनांक 8 फरवरी, 1996;
19. सा.का.नि. 511(अ), दिनांक 9 जुलाई, 2009

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2015

G. S. R. 726(E).—In exercise of the powers conferred by section 43 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Emigration Rules, 1983, namely:—

1. (1) These rules may be called the Emigration (Amendment) Rules, 2015.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Emigration Rules, 1983, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely:—

“8. **Amount of Security**—The applicant, on being informed by the registering authority under sub-section (2) of section 11 of the Act, shall provide a bank guarantee of eight and half years' validity for an amount of fifty lakh rupees as security under sub-section (3) of that section.”

[F. No. OI-11012/15/2015-EP-I]

A. K. AGARWAL, Secy.

Note : the principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number S.O. 941(E), dated the 30th December, 1983 and were subsequently amended vide notification numbers:

1. S. O. 665(E), dated the 10 th September, 1986;
2. G.S.R 111(E), dated the 24 th February, 1987;
3. G.S.R. 375(E), dated the 23 rd March, 1989;
4. S.O. 111(E), dated the 8 th February, 1996;
5. S.O. 159(E), dated the 28 th February, 1996
6. S.O. 526 (E), dated the 22 nd July, 1996;
7. G.S.R. 713(E), dated the 18 th October, 2002;
8. S.O.1205(E), dated the 14 th October, 2003;
9. G.S.R. 143(E), dated the 26 th February, 2004;
10. G.S.R. 773(E), dated the 25 th November, 2004;
11. G.S.R. 50(E), dated the 6 th February, 2006;
12. S.O. 289(E), dated the 7 th March, 2006;
13. S.O. 856(E), dated the 6 th June, 2006;
14. S.O. 2161(E), dated the 28 th December, 2006;
15. S.O. 366(E), dated the 14 th March, 2007;
16. S.O. 776(E), dated the 18 th May, 2007;
17. G.S.R. 658(E), dated the 15 th October, 2007
18. G.S.R. 111(E), dated 8 th February, 1996
19. G.S.R. 511(E), dated 9 th July, 2009